शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-8/1512/26-2-2014-100(1)/2013

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 जून, 2014

विषयः- समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1098/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 23 मई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 20 जून, 2014 निर्धारित करते हुए इसके संचालन हेतु समय-सारिणी भी निर्धारित की गई थी।

2- प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 20 जून, 2014 से बढ़ाकर **दिनांक 15 जुलाई, 2014** निर्धारित की गई है। तद्नुसार योजना के संचालन हेतु पूर्व में निर्धारित समय-सारिणी संशोधित करते हुए निम्नवत् निर्धारित की गयी हैः-

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि।	**15 जुलाई, 2014**
आवेदन पत्रों की जांच/स्थलीय सत्यापन।	15 अगस्त, 2014
ग्राम पंचायत/नगर निकाय द्वारा सूची तैयार करना।	31 अगस्त, 2014
सूची को प्रदर्शित करना एवं आपत्तियों का आमंत्रण।	07 सितंबर, 2014
ग्राम सभा/वार्ड कमेटी की खुली बैठक।	**15 सितम्बर, 2014 तक**
खण्ड विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रभारी नगर निकाय) द्वारा लाभार्थियों की सूची का सत्यापन।	30 सितम्बर, 2014
जनपद स्तरीय समितियों का अनुमोदन।	**15 अक्टूबर, 2014**
लाभार्थियों की अनुमोदित सूची की डाटा इन्ट्री एवं सर्वर पर अपलोड करना।	10 नवंबर, 2014

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उल्लेखनीय है कि समाजवादी पेंशन योजना शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकतापरक योजना है। इस योजना का जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु स्वंय उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि लाभार्थियों के चयन हेतु समस्त प्रक्रिया दिनांक 10 नवंबर, 2014 तक पूर्ण करा ली जाये।

4- यह सुनिश्चित किया जाय कि समाजवादी पेंशन योजना के समयबद्ध एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु उक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिकता पर संपादित की जाय।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

<u>संख्या व तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त समाज कल्याण, उ0प्र0।

2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी (नोडल अधिकारी, समाजवादी पेंशन योजना), उ0प्र0।

7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

9- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in